रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934
No. 317] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

सा.का.नि. 517(अ).— केंद्रीय सरकार बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के (2006 का 4) खंड 35 के उप खंड (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 के नियम 2 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है),-

(i) खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'(कक) "लेखा- परीक्षा अधिकारी" से भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि अथवा उसके द्वारा आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है

(ii) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(गक) " प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध "प्ररूप" अभिप्रेत है।

3. मूल नियम के नियम 23 में,-

(i)उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) सदस्य सचिव अथवा सदस्य सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक्त: प्राधिकृत आयोग का कोई अधिकारी धारा 16 अधीन उस वित्तीय वर्ष जिससे रिर्पोट संबंधित है के जून मास की 30 तारीख अथवा इससे पूर्व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(1क) उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित की जाएगी"।

(ii) उप नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

"(4 क) वार्षिक रिपोर्ट में उस वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को वर्णित करने वाला एक पृथक अध्याय होगा ।

5 मूल नियमों के नियम 24 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे अर्थात्:-

" 25 आयोग के लेखे - (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग के लेखाओं की वार्षिक विवरणी सदस्य सचिव अथवा सदस्य सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी तैयार करेगा।

(2) आयोग केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय और वित्तीय वर्ष के शेष भाग में किए जाने वाले अनुमानत व्यय की तिमाही पुनर्विलोकन अभ्रेषित करेगा।

(3) सदस्य सचिव आयोग के लेखाओं के अनुरक्षण, वित्तीय विवरण और विवरणियों का पर्यवेक्षण करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आयोग की सभी संबंधित लेखा बहियाँ, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजात उस अधिकारी को दे दिए जाएं ।

(4) आयोग के लेखे अनुसूची III के प्ररूप I से प्ररूप XII के अनुसार रखे जाएँगे।

(5) लेखों की वार्षिक विवरण सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(6) लेखों का वार्षिक विवरण, लेखा परीक्षा अधिकारी को उस वर्ष की 30 जून या उसके पूर्व जिससे लेखे संबंधित हैं प्रस्तुत कर दिया जाएगा और लेखा परीक्षा अधिकारी आयोग के लेखों की संपरीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) आयोग, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति को तीस दिनों के भीतर उसमें उपदर्शित किसी त्रुटि या अनियमितता का उपचार करेगा और उसके द्वारा की गई कार्रवाई की अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार और लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 3-27/2011/सीडब्ल्यू-I]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

अनुसूची – III

प्ररूप ।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(नियम सं. 25 (4) देखें)

दायित्व	रकम	आस्तियां	रकम
पूंजी आस्ति निधि	अनुसूची-1	नियत आस्तियाँ	अनुसूची-क
व्यय से अधिक आय	अनुसूची-2	निवेश	अनुसूची-ख
वर्तमान दायित्व और उपबंध		आकस्मिक अग्रिम	अनुसूची-ग
प्रेषण	अनुसूची-3	अन्य ऋण और अग्रिम	अनुसूची-ग
भविष्य निधि आदि	अनुसूची-4	प्रतिभूति जमा	अनुसूची -घ
विविध लेनदार	अनुसूची-5	भविष्य निधि आदि	अनुसूची--ड़
		विविध देनदार	अनुसूची-च
		अंत शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	
कुल			

सदस्य सचिव

प्ररूप II

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

पूंजी आस्ति निधि

(नियम 25 (4) देखें)

क्र.सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	बट्टे खाते में डाली गई राशि	अंत अति शेष
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और सज्जा				
4.	मशीनरी और उपकरण				
5.	वाहन				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान दी गई आस्तियां				
8.	अन्य				
	कुल				

IndiaCode

सदस्य सचिव

प्ररूप - III

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

व्यय से अधिक आय

(नियम 25(4) देखें)

क्रम सं.	विवरण	रकम
1.	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
2.	व्यय से अधिक आय	
3.	अन्य	
	कुल	

सदस्य सचिव

प्ररूप – IV

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

प्रेषित धन

(नियम 25(4) देखें)

IndiaCode

क्र.सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	प्रेषित राशि	अंत अति शेष
1.	साधारण प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी वृंद से साधारण भविष्य निधि की वसूली				
2.	अनुज्ञप्ति शुल्क				
3.	आय-कर				
4.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना				
5.	डाक जीवन बीमा				
6.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना				
7.	अन्य				
	कुल				

सदस्य सचिव

प्ररूप - V

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

भविष्य निधियाँ और अन्य निधियाँ

(नियम 25(4) देखें)

क्र.सं.	विवरण	रकम
क	अंशदायी भविष्य निधि	
	1. आदि अति शेष	
	2.अभिदान	
	3.अग्रिम की वसूली	
	4.आयोग का अंशदान	
	5. ब्याज	
	घटाएं: अग्रिम/अंतिम अदायगी/निवेश	
	उप योग :	
ख	सामान्य भविष्य निधि	
	1. आदि अति शेष	
	2.अभिदान	
	3.अग्रिम की वसूली	
	4. ब्याज	
	घटाएं : अग्रिम/अंतिम अदायगी/निवेश	
	उप योग :	
ग	सामूहिक बीमा योजना	
	(अ) बचत निधि	
	1. आदि अति शेष	
	2. अभिदान	
	3. ब्याज	
	घटाएं: अदायगी/निवेश	
	उप योग :	
	(ख) बीमा निधि	
	1. आदि अति शेष	
	2.अभिदान	
	3. ब्याज	
	घटाएं : अदायगियाँ/निवेश	
	उप योग :	
	कुल योग	

IndiaCode

सदस्य सचिव

प्ररूप – VI

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

विविध लेनदार और अन्य दायित्व

(नियम 25(4) देखें)

क्रम सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	पुनर्अदायगी	कुल रकम
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन				
3.	विवध लेनदार				
4.	अन्य दायित्व				
	कुल				

सदस्य सचिव

प्ररूप – VII

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

पूंजी आस्ति निधि

(नियम 25(4) देखें)

क्र.स.	विवरण	आदि अतिशेष	परिवर्धन	बट्टे खाते डाली गई रकम	अंत अति शेष
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और सज्जा				
4.	मशीनरी और उपकरण				
5.	वाहन				
6.	प्रकाशन				
7.	उपहार/दान में दी गई आस्तियाँ				
8.	अन्य				
	कुल				

सदस्य सचिव

IndiaCode

प्ररूप – VIII

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

निवेश

(नियम 25(4) देखें)

क्र.सं.	विवरण	रकम
	सावधि जमा	
	(अ) आदि अतिशेष	
	(आ) किया गया निवेश	
	(इ) नकदीकृत निवेश	
	(ई) अंत अति शेष	
	कुल	

सदस्य सचिव

प्ररूप - IX

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

आकस्मिक और अन्य ऋण तथा अग्रिम

(नियम 25(4) देखें)

क्रम सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	वसूलियाँ	शेष रकम
क.	आकस्मिक अग्रिम				
	(क) के. लो. नि. वि. को अग्रिम				
	(ख) डी जी एस एण्ड डी को अग्रिम				
	(ग) पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
ख.	कर्मचारियों को अग्रिम				
	(क) गृह निर्माण अग्रिम				
	(ख) मोटर कार अग्रिम				
	(ग) अन्य मोटर वाहन अग्रिम				
	(घ) अन्य अग्रिम				
ग.	अन्य अग्रिम				
	कुल				

सदस्य सचिव

2354GI/12-3

IndiaCode

प्ररूप – X

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

प्रतिभूति/ बयाना रकम जमा

(नियम 25(4) देखें)

क्रम सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	पुनर्अदायगी	अंत अति शेष
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन				
	कुल				

सदस्य सचिव

प्ररूप – XI

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

भविष्य निधि और अन्य निधियों का शेष

(नियम 25(4) देखें)

क्रम सं.	विवरण	रकम
क	अंशदायी भविष्य निधि	
	आदि अतिशेष	
	जोड़े : वर्ष के दौरान निवेश	
	घटाएं : नकदीकृत निवेश	
	शेष नकद रकम	
ख	साधारण भविष्य निधि	
	आदि अति शेष	
	जोड़े : वर्ष के दौरान निवेश	
	घटाएं : नकदीकृत निवेश	
	शेष नकद रकम	
ग	सामूहिक बीमा योजना	
	(i) बचत निधि	
	आदि अति शेष	
	जोड़े : वर्ष के दौरान निवेश	
	घटाएं: नकदीकृत निवेश	
	शेष नकद रकम	

	(ii)बीमा निधि आदि अतिशेष जोड़े : वर्ष के दौरान निवेश घटाएं: नकदीकृत निवेश शेष नकद राशि
	कुल

सदस्य सचिव

प्ररूप – XII

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

विवध देनदारियॉं

(नियम 25(4) देखें)

क्.सं.	विवरण	आदि अति शेष	परिवर्धन	समायोजन	अंत अति शेष
क.					
ख.					
ग.					
घ.					
	कुल				

सदस्य सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2012

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules),-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

' (aa) "Audit Officer" means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission';

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

' (ca) "Form" means a form annexed to these rules.'

3. In rule 23 of the principal rules,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

" (1) The Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member-Secretary in this behalf shall prepare the annual report referred to in section 16 on or before the 30st day of June following the financial year to which that report relates.

(1A) The annual report prepared under sub-rule (1) shall, after approval by the Commission, be signed and authenticated by the Member-Secretary".

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The Annual Report shall have a separate Chapter detailing the recommendations made by the Commission during that financial year".

5. After rule 24 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"25. Accounts of the Commission.- (1) The annual statement of accounts of the Commission for every financial year shall be prepared by the Member-Secretary or such officer of the Commission as may be authorized by the Member-Secretary in this behalf.

(2) The Commission shall forward to the Central Government quarterly reviews of the progress of expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year.

(3) The Member Secretary shall supervise the maintenance of the accounts of the Commission, the compilation of financial statement and returns and shall also ensure that all accounts books, connected vouchers and other documents and papers of the Commission required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Commission are placed at the disposal of that officer.

(4) The accounts of the Commission shall be maintained as per the Forms I to XII of Schedule III.

(5) The annual statement of accounts shall be signed and authenticated by the Member-Secretary.

(6) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before the 30th of June following the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Commission and submit audit report.

IndiaCode

(7) The Commission shall, within thirty days of receipt of audit report, remedy any defect or irregularity pointed out therein, and submit its report to the Central Government and to the Audit Officer about the action taken by it."

[F. No. 3-27/2011-CW-I]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.

Schedule-III

FORM I

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH
[See rule 25 (4)]

IndiaCode

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Capital Asset Fund	Schedule 1	Fixed Assets	Schedule A
Excess of Income over Expenditure	Schedule 2	Investments	Schedule B
Current Liabilities & Provisions		Contingent Advances	Schedule C
Remittances	Schedule 3	Other Loans and Advances	Schedule C
Provident Funds etc.	Schedule 4	Security Deposit	Schedule D
Sundry Creditors	Schedule 5	Provident Fund etc.	Schedule E
		Sundry Debtors	Schedule F
		Closing Balance	
		Cash in hand	
		Cash at Bank	
TOTAL:			

MEMBER SECRETARY

FORM-II
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
CAPITAL ASSET FUND
[See rule 25 (4)]

S. No. Description	Opening Balance	Additions	Amount Written off	Closing Balance
1. Land				
2. Building				
3. Furniture & Fixtures				
4. Machinery & Equipment				
5. Vehicles				
6. Publications				
7. Gifted/Donated Assets				
8. Others				
TOTAL:				

IndiaCode

MEMBER SECRETARY

FORM-III
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
EXCESS OF INCOME OVER EXPENTITURE
[See rule 25 (4)]

S. No. Description	Amount
1. Balance as per last Balance Sheet	
2. Excess of Income over Expenditure	
3. Others	
TOTAL:	

MEMBER SECRETARY

FORM-IV

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

REMITTANCES

[See rule 25 (4)]

S. No. Description	Opening Balance	Additions	Amounts Remitted	Closing Balance
1. General Provident Fund etc. recovery of staff on deputation				
2. Licence Fee				
3. Income Tax				
4. Central Govt. Health Scheme				
5. Postal Life Insurance				
6.Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				
7.Others				
TOTAL:				

IndiaCode

MEMBER SECRETARY

FORM-V

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

PROVIDENT FUNDS AND OTHER FUNDS

[See rule 25 (4)]

S. No.	Description	Amount
A.	Contributory Provident Fund	
	1.Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Recovery of Advance	
	4. Commission's Contribution	
	5. Interest	
	Less: Advance/Final payments/Investments	
	Sub Total:	
B.	General Provident Fund	
	1.Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Recovery of Advance	
	4. Interest	
	Less: Advance/Final payment/Investments	
	Sub Total:	
C.	Group Insurance Scheme	
	(a) Saving Fund	
	1. Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Interest	
	Less: Payments/Investments	
	Sub Total:	
	(b) Insurance Fund	
	1.Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Interest	
	Less: Payments/Investments	
	Sub Total:	
	Grant Total :	

MEMBER SECRETARY

IndiaCode

2354 GI/12—5

FORM-VI
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
SUNDRY CREDITORS AND OTHER LIABILITIES
[See rule 25 (4)]

S. No.	Descriptions	Opening Balance	Additions	Repayments	Total Amount
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
3.	Sundry Creditors				
4.	Other Liabilities				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

FORM-VII
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
CAPITAL ASSET FUND
[See rule 25 (4)]

S. No.	Descriptions	Opening Balance	Additions	Amount written off	Closing Balance
1.	Land				
2.	Buildings				
3.	Furniture & Fixture				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Vehicles				
6.	Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

FORM-VIII
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
INVESTMENT
[See rule 25 (4)]

S. No.	Details	Amount
	Fixed Deposits with	
(a)	Opening Balance	
(b)	Investments made	
(c)	Investments Encashed	
(d)	Closing Balance	
	TOTAL:	

MEMBER SECRETARY

IndiaCode

FORM-IX
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
CONTINGENT AND OTHER LOANS AND ADVANCES
[See rule 25 (4)]

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Recoveries	Balance Amount
	A. Contingent Advance				
(a)	Advances to CPWD				
(b)	Advanced to DGS&D				
(c)	Advances to suppliers				
	B. Advances to Employees				
(a)	House Building Advances				
(b)	Motor Car Advance				
(c)	Other Motor Conveyance Advance				
(d)	Other Advances				
	C. Other Advances				
	TOTAL :				

MEMBER SECRETARY

2354 GI/12-6

FORM-X

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

SECURITY/EARNEST MONEY DEPOSIT

[See rule 25 (4)]

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Repaid	Closing Balance
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
TOTAL:					

MEMBER SECRETARY

FORM-XI

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

BALANCE OF PROVIDENT FUND AND OTHER FUNDS

[See rule 25 (4)]

S. No.	Description	Amount
A.	Contributory Provident Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
B.	General Provident Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investment made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
C.	Group Insurance Scheme	
	(i) Saving Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investment made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
	(ii) Insurance Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
TOTAL :		

MEMBER SECRETARY

IndiaCode

FORM-XII
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
SUNDRY DEBTORS
[See rule 25 (4)]

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Adjustments	Closing Balance
A.					
B.					
C.					
D.					
TOTAL :					

MEMBER SECRETARY

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.